

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-345

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में विकास योजनाएं

*345. श्रीमती रजनी पाटिल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में विद्युत-क्षेत्र में आरंभ की गई विकास योजनाओं/कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में इन योजनाओं के अधीन क्रमशः स्वीकृत/जारी और प्रयुक्त हुई कुल धनराशि का, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है;
- (ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, श्रेणी-वार और राज्य-वार कितने परिवार विद्युत-आपूर्ति से वंचित हैं; और
- (घ) गत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युत क्षेत्र में विकास योजनाएं" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 03.04.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 345 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : भारत सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में दो स्कीमें अर्थात् दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) शुरू की हैं। इनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

डीडीयूजीजेवाई: भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में एक व्यापक स्कीम अर्थात् दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की। इस स्कीम का उद्देश्य (i) ग्रामीण विद्युतीकरण; (ii) घरों तक बिजली की पहुँच प्रदान करना; (iii) फीडर पृथक्करण; (iv) उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण तथा (v) मीटरिंग करना है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (28.02.2017 तक) के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्य-वार संस्वीकृत धनराशि तथा संवितरित निधियों के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

आईपीडीएस: भारत सरकार ने शहरी नगरों में उप-पारेषण प्रणाली के सुदृढीकरण, मीटरिंग एवं आईटी सक्षमता के लिए दिसंबर, 2014 में एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (पूर्ववर्ती आर-एपीडीआरपी समाहित) शुरू की है। गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (27.03.2017 तक) के दौरान इन स्कीमों के अंतर्गत कुल संस्वीकृत एवं संवितरित की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) : बिना बिजली वाले घरों की संख्या के श्रेणी-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 1678 लाख ग्रामीण घर थे, इनमें से 750 लाख ग्रामीण घर गैर-विद्युतीकृत थे। इसके अतिरिक्त, राज्यों द्वारा दी गई सूचना तथा गर्व एप पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि देश में लगभग 471 लाख गैर-विद्युतीकृत ग्रामीण घर हैं।

(घ) : पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (28.02.2017 तक) के दौरान 14,966 गाँव विद्युतीकृत कर दिए गए हैं।

अनुबंध-1

"विद्युत क्षेत्र में विकास योजनाएं" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 03.04.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 345 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत और संवितरित राशि का ब्यौरा

(राशि रुपए करोड़ में)

राज्य का नाम	संस्वीकृत राशि	संवितरित राशि
आंध्र प्रदेश	993.35	133.44
अंडमान निकोबार	20.96	-
अरुणाचल प्रदेश	426.52	149.61
असम	3,189.98	779.82
बिहार	11,077.01	4,296.77
छत्तीसगढ़	1,842.60	520.00
दादरा व नागर हवेली	5.00	-
गोवा	20.00	-
गुजरात	924.72	108.69
हरियाणा	1,577.31	-
हिमाचल प्रदेश	159.12	28.35
जम्मू व कश्मीर	720.96	35.09
झारखंड	3,918.29	322.38
कर्नाटक	1,881.95	138.36
केरल	490.69	113.04
मध्य प्रदेश	4,377.15	1,135.07
महाराष्ट्र	2,174.97	112.91
मणिपुर	259.70	124.50
मेघालय	306.13	26.64
मिजोरम	107.46	60.47
नागालैंड	176.87	62.65
ओडिशा	5,303.97	1,225.96
पुडुचेरी	20.15	-
पंजाब	252.06	-
राजस्थान	4,273.32	454.86
सिक्किम	49.70	16.29
तेलंगाना	462.30	42.91
तमिलनाडु	924.12	88.40
त्रिपुरा	390.35	134.14
उत्तर प्रदेश	14,229.21	4,069.85
उत्तराखंड	845.30	73.97
पश्चिम बंगाल	4,871.71	563.65

"विद्युत क्षेत्र में विकास योजनाएं" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 03.04.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 345 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आईपीडीएस (आर-एपीडीआरपी में समाहित) के अंतर्गत संस्वीकृत और जारी ऋण एवं अनुदान

(राशि रुपए करोड़ में)

राज्य का नाम	संस्वीकृत राशि	संवितरित राशि
हरियाणा	390	128
हिमाचल प्रदेश	111	146
जम्मू व कश्मीर	447	35
पंजाब	326	54
चंडीगढ़	0	0
राजस्थान	1420	135
उत्तर प्रदेश	5652	1361
उत्तराखंड	198	196
दिल्ली	198	0
मध्य प्रदेश	1509	141
गुजरात	1255	237
छत्तीसगढ़	492	66
महाराष्ट्र	2452	182
गोवा	0	11
आंध्र प्रदेश	755	118
तेलंगाना	654	39
कर्नाटक	1164	153
केरल	600	141
तमिलनाडु	1797	139
पुडुचेरी	22	3
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0
बिहार	2111	167
झारखंड	735	216
पश्चिम बंगाल	2940	199
ओडिशा	1111	262
असम	585	209
अरुणाचल प्रदेश	151	0
नागालैंड	44	2
मणिपुर	130	222
मेघालय	62	48
मिजोरम	49	19
सिक्किम	0	37
त्रिपुरा	74	67

टिप्पणी: स्कीम वित्तीय वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3601

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं

3601. श्रीमती रानी नाराहः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अरुणाचल प्रदेश में वर्ष 1999 से 2016 तक जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने सहमति ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं;
- (ख) प्रत्येक विचाराधीन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (ग) हिमालय से तीव्र गति से बहने वाली अनेक नदियों से राज्य में कितने विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में वर्ष 1999 से 2016 के बीच कुल 143 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, राज्य में 2,854 मेगावाट की कुल क्षमता वाली चार जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट एवं उससे अधिक) निर्माणाधीन हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा आबंटित की गई शेष जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट एवं उससे अधिक) के संबंध में विकास की स्थिति अनुबंध में दी गई है।

(ग) : सीईए द्वारा 1978-87 के दौरान पूरे किए गए पुनर्मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर अरुणाचल प्रदेश की अभिज्ञात विद्युत क्षमता 50,328 मेगावाट (25 मेगावाट क्षमता से अधिक की जल विद्युत योजनाओं से 50,064 मेगावाट), जो उत्पादित की जा सकती थी, है।

राज्य सभा में दिनांक 03.04.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3601 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा शेष जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट एवं उससे अधिक) से संबंधित विकास की स्थिति इस प्रकार है:

(i) डीपीआर को सहमति दी गई (अभी निर्माण कार्य शुरू किया जाना है):

- सीईए के द्वारा - 17 (15,092 मेगावाट)
- राज्य के द्वारा - 7 (397 मेगावाट)

(ii) जांचाधीन डीपीआर:

- सीईए में - 4 (5,456 मेगावाट)
- राज्य में - 6 (297 मेगावाट)

(iii) वापिस की गई योजनाएं:

- 10 (4371.5 मेगावाट)

(iv) क्रियाशील सर्वेक्षण एवं जांचाधीन (एसएण्डआई):

- 28 (4,058 मेगावाट)

(v) सर्वेक्षण एवं जांच रोक दी गई:

- 9 (9,122 मेगावाट)

(vi) छोड़ी गई तथा अन्य आबंटित जल विद्युत योजनाएं:

- 16 (10542.5 मेगावाट)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3602
जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

बदरपुर विद्युत संयंत्र का सुधार

3602. श्रीमती रेणुका चौधरी

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनटीपीसी का बदरपुर विद्युत संयंत्र देश का सर्वाधिक प्रदूषणकारी विद्युत संयंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस विद्युत संयंत्र के पर्यावरणीय निष्पादन तथा उर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, नहीं।

(ग) : बदरपुर विद्युत संयंत्र के पर्यावरणात्मक निष्पादन में सुधार करने के लिए एनटीपीसी द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- यूनिट सं. 4 और 5 के इलेक्ट्रिक प्रोसिपिटेटर्स (ईएसपी) की मरम्मत और आधुनिकीकरण।
- ऐश डाइक में छिड़काव प्रणाली चालू करना।
- फ्यूजटिक डस्ट इमिशन के नियंत्रण के लिए संयंत्र की चारदीवारी पर विंड स्क्रीन लगाना।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3603

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों को कोयला वितरण में असंतुलन

3603. श्रीमती विजिला सत्यानंतः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वर्तमान में कुछ दक्ष विद्युत संयंत्र कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं जबकि न्यून उपयोगिता वाले संयंत्रों में भारी मात्रा में ईंधन पड़ा हुआ है;
- (ख) क्या नए मानदंडों के अंतर्गत, गैर-सरकारी विद्युत संयंत्रों से बिजली की उतराई लागत राज्य के विद्युत उत्पादन संयंत्र से उत्पादन की परिवर्तनीय लागत से कम होनी चाहिए;
- (ग) क्या ऐसे मामले, जिसमें रेलवे को यह लगे कि गैर-सरकारी विद्युत संयंत्र को कोयला पहुंचाना व्यवहार्य नहीं है, तो क्या वह संयंत्र बोली लगाने में भाग लेने का पात्र नहीं होगा; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में घरेलू कोयले की बढ़ी हुई उपलब्धता से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा निगरानी किए गए ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) में कोयला स्टॉक की स्थिति में वृद्धि हुई है। 27.03.2017 की स्थिति के अनुसार ताप विद्युत संयंत्रों के पास 19 दिनों तक प्रचालन करने के लिए कुल 27.7 मिलियन टन का पर्याप्त स्टॉक था। इसके अतिरिक्त, 27.03.2017 के अनुसार मात्र एक ताप विद्युत संयंत्र के कोयला स्टॉक की स्थिति संकटपूर्ण है।

(ख) : ऐसा कोई मानक नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन की अनुमति देने तथा विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए भी 20.02.2017 को दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं।

: (घ) और (ग) कार्यप्रणाली के अनुसार, पात्रता चरण हेतु अनुरोध में संक्षिप्त सूची में नाम रखने के बाद आईपीपी के लिए कोयले के रेल परिवहन की प्रचालनात्मक व्यवहार्यता के संबंध में रेल मंत्रालय को एक संदर्भ दिया जाना है। प्रचालनात्मक विचारविमर्शों के आधार पर-, रेल मंत्रालय को अपनी सहमति देनी है। ऐसे आईपीपी, जहां कोयले का अन्तरण व्यवहार्य नहीं है जैसा रेलवे द्वारा बताया गया है, प्रस्ताव चरण हेतु अनुरोध में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3604

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है।

छत्तीसगढ़ में विद्युतीकृत गांव

3604. श्री राम विचार नेताम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले 3 वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश में विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या कितनी है और शेष कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है;
- (ख) क्या छत्तीसगढ़ सरकार से गांवों के विद्युतीकरण हेतु प्राप्त कोई प्रस्ताव लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है;
- (ग) राज्य में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कितने परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे; और
- (घ) वर्ष 2015-16 और चालू वर्ष के दौरान राज्य में इस योजना के अंतर्गत खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (28.02.2017 तक) के दौरान छत्तीसगढ़ में विद्युतीकृत गांवों की संख्या निम्नानुसार है:

2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (28.02.2017 तक)
164	67	405	233

राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 28.02.2017 की स्थिति के अनुसार राज्य में 442 गैर-विद्युतीकृत गांव हैं।

(ख) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत गांवों के विद्युतीकरण के लिए छत्तीसगढ़ से प्राप्त सभी प्रस्ताव संस्वीकृत किए गए हैं और आज की तारीख में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत इसके ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक सहित संचयी रूप से 14,47,314 बीपीएल परिवार निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए शामिल किए गए हैं। 28.02.2017 तक 11,52,595 बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(घ) : वर्ष 2015-16 और वर्तमान वर्ष (28.02.2017 तक) के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत क्रमशः 279.34 करोड़ रुपए और 93.71 करोड़ रुपए की अनुदान राशि संवितरित की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3605

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षमता की तुलना में इसकी मांग

3605. श्री के. आर. अर्जुननः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत को 314642 मेगावाट की वर्तमान संस्थापित क्षमता और निर्माणाधीन परियोजनाओं से 2026 तक देश की बिजली मांग पूरा करने की आशा है;
- (ख) क्या एनटीपीसी के ताप विद्युत केन्द्र न्यून प्लांट लोड फैक्टर दर्ज कर रहे हैं;
- (ग) क्या एनटीपीसी के पास अधिशेष बिजली है और अब यह चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार की ओर देख रहा है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ।

(ख) : एनटीपीसी के कोयला आधारित स्टेशनों का संचयी संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) 2016-17 में 77.98% (फरवरी, 2017 तक) है जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। तथापि, एनटीपीसी के गैस आधारित स्टेशनों के संबंध में घरेलू गैस की वास्तविक आपूर्ति देश में इसकी कम उपलब्धता के कारण बहुत कम है। अपने संयंत्रों को उपलब्ध कराने के लिए एनटीपीसी दीर्घकालीन और अल्पकालीन संविदाओं से आयातित पुनर्गैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की व्यवस्था कर रहा है। तथापि, आरएलएनजी के महंगी होने के कारण लाभार्थियों से उत्पादन शेड्यूल उपलब्ध नहीं है। इसके फलस्वरूप एनटीपीसी के गैस प्रज्वलित विद्युत संयंत्र कम पीएलएफ पर प्रचालित हैं।

(ग) और (घ) : जी, हाँ। एनटीपीसी ने अपनी दीर्घकालीन निगमित योजना के अनुसार 2032 तक ई-मोबिलिटी व्यवसाय में विद्युत की आपूर्ति के लिए अनुमानित बाजार हिस्से का 10% हासिल करने की परिकल्पना की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3606
जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले के स्टॉक को कम करना

3606. श्रीमती विजिला सत्यानंतः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताप विद्युत केन्द्र बिजली उत्पादन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कोयले के स्टॉक की मात्रा को कम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत संयंत्रों में आयातित कोयले का हिस्सा भी कम हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत स्टेशनों द्वारा कोयले की कुल खरीद प्रणाली मांग पर आधारित मांग तथा मेरिट ऑर्डर अनुसूची के अंतर्गत प्रेषित की गई विद्युत प्राप्त करने वाले स्टेशनों के अनुसार है। दिसंबर, 2016, जनवरी, 2017, फरवरी, 2017 के अंतिम दिन तथा 26.03.2017 की स्थिति के अनुसार दैनिक आधार पर, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में निगरानी किए गए, विद्युत संयंत्रों की कोयला स्टॉक की स्थिति अनुबंध-I में दी गई है।

(ग) और (घ) : विद्युत यूटिलिटियां घरेलू कोयले के मिश्रण तथा आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए विद्युत संयंत्रों में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए कोयले का आयात कर रही है। घरेलू कोयले की अधिक उपलब्धता के कारण, घरेलू कोयले के साथ मिश्रण के लिए अपेक्षित विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले का आयात कम हो रहा है। तथापि, आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए संयंत्र अपने कोयले की मांग को पूरा करने के लिए कोयले का आयात कर रहे हैं। अप्रैल, 2016 से फरवरी, 2017 के दौरान, पिछले वर्ष की संगत अवधि के दौरान 74.7 एमटी की तुलना में कोयले का कुल आयात 60.7 मिलियन टन (एमटी) था जिसमें 14.0 एमटी (-18.7%) की कमी दर्ज हुई। पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युत यूटिलिटियों द्वारा आयात किए गए कोयले की मात्रा अनुबंध-II में दी गई है।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 03.04.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3606 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिसंबर, 2016, जनवरी, फरवरी, 2017 के अंतिम दिन और 26.03.2017 की स्थिति के अनुसार विद्युत संयंत्रों के कोयला स्टॉक की स्थिति

तिथि	कुल कोयला स्टॉक (मिलियन टन, एमटी)	कोयला स्टॉक (दिन में)
31.12.2016	21.18	15
31.01.2017	22.21	15
28.02.2017	26.15	17
26.03.2017	27.61	19

राज्य सभा में दिनांक 03.04.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3606 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विद्युत यूटिलिटियों द्वारा आयातित कोयले की मात्रा

वर्ष	ब्लैंडिंग के लिए आयातित कोयला (एमटी)	आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए संयंत्रों के लिए आयातित कोयला (एमटी)	कुल (एमटी)	कुल कोयला आयात में % परिवर्तन
2011-12	27.5	17.7	45.2	-
2012-13	31.6	31.7	63.3	40.0
2013-14	37.8	42.2	80.0	26.4
2014-15	48.5	42.7	91.2	14.0
2015-16	37.1	43.5	80.6	-11.6
2015-16 (अप्रैल, 15-फरवरी, 16)	34.3	40.4	74.7	-
2016-17 (अप्रैल, 16-फरवरी, 17)	18.5	42.2	60.7	-18.7

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3607

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है।

तपोवन विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति

3607. श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तराखंड में एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के आरंभ होने की मूल निर्धारित तिथि क्या है;

(ख) परियोजना के आरंभ होने में अत्यधिक विलंब तथा इसकी लागत में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा परियोजना के शीघ्र निष्पादन हेतु क्या नए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना को 2978 करोड़ रुपये की मूल लागत पर चालू करने की मूल निर्धारित तिथि मार्च, 2013 थी। परियोजना के चालू होने में हुए विलंब के कारण इस प्रकार हैं:

- अप्रत्याशित प्रतिकूल भूवैज्ञानिक आकस्मिकताओं के कारण टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) तीन बार बंद हुई।
- उत्तराखण्ड में अगस्त, 2012 तथा जून, 2013 के दौरान आई अप्रत्याशित बाढ़ के कारण कॉफरडैम तथा संपर्क सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं।
- हेड रेस टनल (एचआरटी) पैकेज एजेंसी के कार्य न करने के कारण संविदा 09.01.2014 को समाप्त कर दी गई थी।
- बैराज कार्यों के लिए संविदा एजेंसी के कार्य न करने के कारण नवंबर, 2010 में संविदा समाप्त कर दी गई।

संशोधित परियोजना लागत 3846 करोड़ रुपये हैं। परियोजना के शीघ्र निष्पादन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- एचआरटी पैकेज को 09.03.2016 को अन्य एजेंसी को पुनः अवार्ड किया गया है।
- बैराज कार्यों का कांट्रैक्ट जुलाई, 2012 में अन्य एजेंसी को पुनः अवार्ड किया गया।

सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) के माध्यम से तथा सरकार की नई आईटी आधारित निवारण निगरानी प्रणाली, प्रगति (सकारात्मक शासन तथा समय पर कार्यान्वयन) के साथ-साथ विद्युत मंत्रालय द्वारा एनटीपीसी की तिमाही कार्य निष्पादन समीक्षा के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा के भाग के रूप में इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर करती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3608
जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत की उपलब्धता का दायरा

3608. श्री कपिल सिब्बल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या लगभग 20 प्रतिशत भारतीयों के पास बिजली नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार की सभी लोगों को बिजली प्रदान करने की योजनाएं हैं और यदि हां, तो उक्त के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है; और
- (ग) 2014 से आज की तारीख तक कितने घरों को बिजली पहुंचाई गई है, राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : गर्व एप-II में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार (29.03.2017 की स्थिति के अनुसार) देश में लगभग 17.88 करोड़ ग्रामीण घर हैं, इनमें से लगभग 13.18 करोड़ (73.71%) ग्रामीण घर विद्युतीकृत किए गए हैं तथा शेष 4.70 करोड़ (26.29%) ग्रामीण घर सभी विद्युतीकृत किए जाने हैं। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ख) : केंद्र सरकार ने सभी परिवारों/घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सभी के लिए 24X7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार, कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति के लिए राज्य विशिष्ट योजनाएं तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ संयुक्त पहल की है। इस पहल में 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने दस्तावेजों पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) : जहाँ वर्ष 2014 से लेकर आज तक बिजली पहुँच गई है, उन गाँवों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

राज्य सभा में दिनांक 03.04.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3608 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

गर्व-II के अनुसार ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण - 29.03.2017 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य	कुल घर	कुल विद्युतीकृत घर	शेष घर, जिन्हें विद्युतीकृत किया जाना है
1	आंध्र प्रदेश	11173117	11171855	1262
2	अरुणाचल प्रदेश	194990	143792	51198
3	असम	4815919	2564556	2251363
4	बिहार	12195750	5472211	6723539
5	छत्तीसगढ़	4517711	3865196	652515
6	गोवा	128207	128207	0
7	गुजरात	6681625	6681625	0
8	हरियाणा	3417476	2707581	709895
9	हिमाचल प्रदेश	1455491	1441592	13899
10	जम्मू व कश्मीर	1287783	1017545	270238
11	झारखंड	5678835	2244740	3434095
12	कर्नाटक	9605856	8391858	1213998
13	केरल	7090667	7032165	58502
14	मध्य प्रदेश	11357851	6764881	4592970
15	महाराष्ट्र	14194656	11274042	2920614
16	मणिपुर	365559	274404	91155
17	मेघालय	463022	323755	139267
18	मिजोरम	105234	98279	6955
19	नागालैंड	159661	71738	87923
20	ओडिशा	8097096	4454179	3642917
21	पुडुचेरी	101788	101413	375
22	पंजाब	3688646	3688646	0
23	राजस्थान	9102432	6863411	2239021
24	सिक्किम	37281	31653	5628
25	तमिलनाडु	9834735	9823492	11243
26	तेलंगाना	5972829	4924387	1048442
27	त्रिपुरा	795569	572204	223365
28	उत्तर प्रदेश	30119300	14523851	15595449
29	उत्तराखंड	1690041	1467184	222857
30	पश्चिम बंगाल	14488940	13682928	806012
	कुल	178818067	131803370	47014697

राज्य सभा में दिनांक 03.04.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3608 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विद्युतीकृत गांव

क्रम सं.	राज्य	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (फरवरी तक)
1	अरुणाचल प्रदेश	282	107	174	175
2	असम	125	190	942	1026
3	बिहार	206	341	1754	441
4	छत्तीसगढ़	164	67	405	233
5	हिमाचल प्रदेश	0	6	1	27
6	जम्मू व कश्मीर	27	9	27	5
7	झारखंड	47	161	750	925
8	कर्नाटक	0	0	0	9
9	मध्य प्रदेश	98	86	214	155
10	मणिपुर	0	192	75	116
11	मेघालय	144	43	1	681
12	मिजोरम	13	47	16	23
13	नागालैंड	4	10	0	61
14	ओडिशा	84	13	1264	926
15	राजस्थान	18	70	163	263
16	सिक्किम	0	0	0	0
17	तेलंगाना	0	0	0	0
18	त्रिपुरा	1	0	9	13
19	उत्तर प्रदेश	0	59	1305	159
20	उत्तराखंड	0	4	0	16
21	पश्चिम बंगाल	0	0	8	2
कुल		1213	1405	7108	5256

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3609
जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

प्रति व्यक्ति बिजली की खपत

3609. डॉ. के. वी. पी. रामचन्द्र राव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत अन्य देशों की तुलना में अत्यंत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ऊर्जा के हाइड्रोकार्बन स्रोतों की बजाय वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करने की योजना बना रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं।

(ख) : उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : जी, हां। भारत सरकार ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावाट क्षमता प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने आईएनडीसी (इन्टेंडेड नेशनली डिटेर्माइन्ड कन्ट्रीब्यूशन) में प्रतिबद्धता भी की है कि 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता कुल संस्थापित क्षमता का 40% होगी। सरकार राजस्व एवं वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की सहायता करती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3610

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है।

उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित ताप विद्युत संयंत्र

3610. श्री आर. वैद्यलिंगमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या आगामी कुछ दशकों में देश में विद्युत उत्पादन की कोयले पर अत्यधिक निर्भरता बनी रहेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए सरकार ने उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास परियोजना को अनुमोदित कर दिया है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्य क्या हैं और परियोजना के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दिनांक 31.01.2017 की स्थिति के अनुसार, अखिल भारत आधार पर कोयला आधारित क्षमता कुल संस्थापित क्षमता का लगभग 60% बैठती है। किन्तु, कोयला आधारित संयंत्रों से कुल वैद्युत उत्पादन अप्रैल, 2016- जनवरी, 2017 के दौरान देश में कुल वैद्युत उत्पादन का लगभग 73% था।

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) से 175 गीगावाट की क्षमता उपलब्धि का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। तथापि, आरईएस पर आधारित संयंत्रों के क्षमता उपयोग कारक कोयला आधारित संयंत्रों की तुलना में काफी कम है। अतः कोयला निकट भविष्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना रह सकता है।

(ख) : भारत सरकार (जीओआई) ने दिनांक 10 अगस्त, 2016 को आयोजित आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डल समिति (सीसीईए) की बैठक में भावी कोयला प्रज्ज्वलित विद्युत संयंत्रों के लिए एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूससी) प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आर एण्ड डी परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया है। यह ढाई वर्षीय परियोजना 1 अप्रैल, 2017 से शुरू होगी जब भारत सरकार की ओर से अनुदान मिलना शुरू होगा।

(ग) : इस परियोजना का उद्देश्य अधिक संयंत्र दक्षता, कम कोयला खपत तथा कम कार्बन-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए अधिक तापमान (>700 सी) तथा दबाव (300 एटीए) पैरामीटरों पर प्रचालनरत 800 मेगावाट एयूससी विद्युत संयंत्र के लिए डिजाइन सामग्री, विनिर्माण प्रौद्योगिकी तथा समग्र संयंत्र डिजाइन को स्वदेशी रूप से तैयार करना है।

संघ के भागीदारों ने लम्बे कार्यकाल वाली सभी आर एण्ड डी परियोजनाओं की शुरुआत की है और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य परियोजनाओं की सूची तैयार की है। चयन की गई लम्बे कार्यकाल वाली परियोजनाओं पर कार्य के पूर्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) कार्यालय से पूर्व परियोजना आर एण्ड डी वित्तपोषण के साथ शुरू किया गया था। इन दस परियोजनाओं में से तीन परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई हैं और शेष सात (7) परियोजनाओं की निगरानी पीएसए द्वारा नियुक्त परियोजना समीक्षा एवं निगरानी समिति (पीआरएमसी) द्वारा की जा रही है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3611

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में एनटीपीसी का प्रवेश

3611. श्री ए. के. सेल्वाराजः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में प्रवेश की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण के लिए संयुक्त उद्यम लगाने की योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : एनटीपीसी ने अपनी दीर्घकालीन कारपोरेट योजना के अनुसार 2032 तक ई-मोबिलिटी कारोबार में विद्युत की आपूर्ति के लिए अनुमानित बाजार का 10% हासिल करने की परिकल्पना की है।

(ग) और (घ) : वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3612

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

एलईडी बल्ब के पर्यावरणीय खतरे

3612. श्री ए. विजयकुमारः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में स्थानीय निकायों को एलईडी बल्ब प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कराए गए किसी सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि व्यापक स्तर पर एलईडी बल्ब का उपयोग पर्यावरणीय रूप से खतरनाक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) तथा स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) नामक राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम 5 जनवरी, 2015 को शुरू किया गया, जिनका कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा किया जा रहा है। मार्च, 2019 तक 77 करोड़ प्रकाश बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब लगाने तथा 3.5 करोड़ परम्परागत स्ट्रीट लाइटों की जगह एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने का लक्ष्य है। 29.03.2017 के अनुसार देश के 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ईईएसएल द्वारा 22.19 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए तथा 19 लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें देश के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में लगाई गई हैं। ईईएसएल इन बल्बों/लाइटों को बदले जाने में उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, जबकि कई अन्य आपूर्तिकर्ता भी इसके साथ जुड़े हुए हैं।

(ग) और (घ) : भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के कोई सर्वेक्षण नहीं किये गए हैं । तथापि, एलईडी बल्ब सभी प्रकाश तकनीकों में अत्यधिक ऊर्जा दक्षता के लिए जाने जाते हैं और सबसे कम अल्ट्रावायलेट (यूवी) तथा इन्फ्रारेड (आईआर) विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। एलईडी बल्ब विद्युत संयंत्रों से मांग कम करते हैं, ग्रीन हाऊस उत्सर्जनों को कम करते हैं और मर्करी रहित कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प (सीएफएल) से भिन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त, उजाला योजना के अन्तर्गत ईईएसएल द्वारा खरीदी गई एलईडी को कई कठोर गुणवत्ता परीक्षणों से गुजारा जाता है तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) विनिर्देशन आईएस 16102 (भाग-1) और (भाग-2): सेल्फ-बैलास्ट लैम्प - 2012 की लिए प्रमाणित किया जाता है।
